राजकीय कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, मशोबरा जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2017 से 31.3.2018

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के सत्यापन के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा–7	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2017

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ड्राफ्ट संख्या 849417 दिनांक 12.5.2017 द्वारा जमा)
2	पैरा–4	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
4	पैरा–6	निर्णीत	(₹815169 प्रमाणक संख्या 17 दिनांक 3.8.17 द्वारा कॉरपस फण्ड को वापिस किये गये)
5	पैरा–7	निर्णीत	(चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा के सन्दर्भ में अधिक भुगतान ₹94 की वसूली रोकड़ बही पृष्ठ 51 के अनुसार करने उपरान्त)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2017 से 31.3.2018 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10.5.18 व 11.5.18 को राजकीय कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा के कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 11/2017 व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/2018 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण राज्य कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, जिला शिमला के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख तथा सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख व

सूचनाओं के गलत एवं अपूर्ण होने की अवस्था में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राज्य कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2017 से 31.3.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹2000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 के पक्ष में जमा करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन (एल0ए0)एस0आर0के0/116 दिनांक 11.5.2018 द्वारा निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, जिला शिमला से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

राजकीय कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, मशोबरा जिला शिमला द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.2017 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

	Particulars	**Grant-in-Aid**	**Other Funds**	**Total**
(क)	प्रारम्भिक शेष	–683506	815169	131663
	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	5295000	865759	6160759
	ब्याज के रूप में प्राप्ति	17323	–	17323
	योग	**4628817**	**1680928**	**6309745**
(ख)	वर्ष के दौरान व्यय	4988150	1317869	6306019
	अन्तिम शेष (क–ख)	–359333	363059	3726
1)	रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2018 को अन्तिम शेष			₹3726
2)	इन्डियन बैंक बचत खाता संख्या 554962434 के अनुसार अन्तशेष			₹3726
3)	अन्तर			शून्य

5 सहायता अनुदानः–

राज्य कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, मशोबरा को हिमाचल प्रदेश सरकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहायता अनुदान के रूप में **परिशिष्ट "क"** पर दिये गये विवरणानुसार ₹5295000 प्राप्त हुये थे। उपरोक्त राशि का माहवार व्यय का विवरण **परिशिष्ट "ख"** तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न है।

6 कॉरपस फण्ड (Corps Fund) से लिये गये ऋण के सन्दर्भ में ₹30000 का दायित्व शेष

राज्य कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, मशोबरा में वर्ष 2017–18 के दौरान स्थापना इत्यादि के लिए संस्थान के ही कॉरपस फण्ड से ₹532700 ऋण के रूप में लिये गये

जबकि इस निधि से गत वित्तीय वर्ष में लिये गये ऋण के सन्दर्भ में ₹815169 का दायित्व शेष था। उपरोक्त ऋण की कुल ₹1347869 (815169+532700) में से दिनांक 31.3.2018 तक ₹1317869 ही वापिस किये गये थे जबकि ₹30000 सम्बन्धित फण्ड को वापिस किये जाने शेष थे। अतः उपरोक्त राशि को कॉरपस फण्ड को यथाशीघ्र स्थानांतरित किया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

7 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों की ₹610 का अनियमित भुगतान

लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित बिलों की जाँच पर पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ 54 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार प्रमाणक संख्या 18 दिनांक 10.8.2017 द्वारा श्री सपन ठाकुर, ए0डी0ओ0 को ₹2101 का भुगतान किया गया था, जबकि निम्न विवरणानुसार इस राशि में से ₹610 का भुगतान नियमानुसार देय नहीं था जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:–

क्र0सं0	**औषधि का नाम**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	अरोग्यवर्धनी वटी	240	नियमानुसार यह औषधियाँ देय नहीं है
2	अर्क मकोह	75	
3	अर्क कासनी	99	
4	हाईपोनिड	196	
	कुल योग	**610**	

8 ₹824 के यात्रा भत्ता बिलों का अनियमित भुगतानः–

प्रधान, सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या– फिन (सी)–बी(7)–1/2009 दिनांक 19.6.2012 के अन्तर्गत प्रवास के दौरान यात्रा में बिताये गये समय हेतु विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पात्रता के आधार पर श्रेणी वार दैनिक भत्ते की दरें निर्धारित की गई है। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न प्रवास/यात्रा सम्बन्धित बिलों की जाँच पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुछ अधिकारियों द्वारा प्रवास के दौरान यात्रा में बिताये गये समय हेतु उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत निर्धारित दरों के आधार पर दावा प्रस्तुत न करके समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.4.2012 के पैरा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचित दरों के आधार पर भुगतान प्राप्त किया गया है जिसके कारण कुल ₹824 का अनियमित भुगतान किया गया है, जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

अधिकारी/ कर्मचारी का नाम/ग्रेड पे	रोकड़ बही/प्रमाणक संख्या/ दिनांक	यात्रा की तिथि	स्टेशन/प्रस्थान का समय	स्टेशन पहुंचने का समय	दिन विशेष में प्रवास के कुल घण्टे	यात्रा में बिताये गये घंटे	दैनिक भत्ते का प्राप्त भुगतान	अपेक्षित भुगतान	अधिक भुगतान
श्री एन0के0 बधान/ ₹7600	50/10 /26.6.17	27.1.17	मशोबरा/ 6.15 ए0एम0	कांगड़ा/3. 30 पी0एम0	17 घंटे 45 मिनट	09 घंटे 15 मिनट	200	145 (96x9.15/17.45=50 200x8.30/17.45=95)	55
–यथोपरि–	–यथोपरि–	22.2.17	मशोबरा/ 2.30 ए0एम0	पालमपुर/ 10.00 पी0एम0	09 घंटे 30 मिनट	07 घंटे 30 मिनट	100	83 (96x70%x7.30/9.30=53 200x70%x2.00/9.30=30)	17
–यथोपरि–	70/46 /27.2.18	7.9.17	मशोबरा/ 5.15 पी0एम0	सुन्दरनगर /10.30 पी0एम0	6 घंटे 45 मिनट	5 घंटे 15 मिनट	200	82 (86x70%x5.15/6.45=54 200x70%x1.30/6.45=28	118
–यथोपरि–	71/50 /29.3.18	2.8.17	मशोबरा/ 11.30 ए0एम0	शिमला एण्ड बैंक/4.30 पी0एम0	5 घंटे	–	70	-	70
–यथोपरि–	–यथोपरि–	7.8.17	मशोबरा/ 11.30 ए0एम0	पालमपुर/8 .30 पी0एम0	12 घंटे 30 मिनट	9 घंटे	200	124 (96x9.00/12.30=70 200x3.30/12.30=54)	76
–यथोपरि–	–यथोपरि–	11.8.17	मशोबरा/ 11.30 ए0एम0	पालमपुर/8 .30 पी0एम0	12 घंटे 30 मिनट	9 घंटे	200	124 (96x9.00x12.30=70 200x3.30/12.30=54)	76
–यथोपरि–	–यथोपरि–	17.8.17	पालमपुर/ 9.00 ए0एम0	मशोबरा/6. 30 पी0एम0	18 घंटे 30 मिनट	9 घंटे 30 मिनट	200	147 (200x9.00/18.30=98 96x9.30/18.30=49)	53
–यथोपरि–	–यथोपरि–	25.8.17	मशोबरा/ 12.30 पी0एम0	शिमला एण्ड बैंक/6.30 पी0एम0	6 घंटे	–	70	-	70
–यथोपरि–	–यथोपरि–	17.10.17	मशोबरा/ 9.30 ए0एम0	हमीरपुर/3. 00 पी0एम0	14 घंटे 30 मिनट	5 घंटे 30 मिनट	200	162 (96x5.30/14.30=36 200x9.00/14.30=126)	38
–यथोपरि–	–यथोपरि–	21.10.17	पालमपुर/ 8.00 ए0एम0	मशोबरा/11 .30 पी0एम0	23 घंटे 30 मिनट	15 घंटे 30 मिनट	200	132 (200x8.00/23.30=69 96x15.30/23.30=63)	68
–यथोपरि–	71/48 /30.3.18	15.1.18	मशोबरा/ 10.00 ए0एम0	पालमपुर/8 .00 पी0एम0	14 घंटे	10 घंटे	180	126 (96x10.00/14.00=69 200x4.00/14.00=57)	54
–यथोपरि–	–यथोपरि–	19.1.18	पालमपुर/ 8.00 ए0एम0	मशोबरा/5. 00 पी0एम0	17 घंटे	9 घंटे	180	145 (200x8.00/17.00=94 96x9.00/17.00=51)	35
–यथोपरि–	–यथोपरि–	21.1.18	मशोबरा/ 10.00 ए0एम0	पालमपुर/8 .00 पी0एम0	14 घंटे	10 घंटे	180	126(96x10.00/14.00=69 200x4.00/14.00=57)	54
–यथोपरि–	–यथोपरि–	28.1.18	धर्मशाला /8.00 ए0एम0	मशोबरा/7. 00 पी0एम0	19 घंटे	11 घंटे	180	140 (200x8.00/19.00=84 96x11.00/19.00=56)	40
								कुल योग	**824**

9 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है। समस्त लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गया है।

10 **निष्कर्षः–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 219 / 02, खण्ड–2–3713–3714 दिनांक, 24.05.2018 शिमला–171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, राजकीय कृषि एवं प्रबन्धन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान समिति मशोबरा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. निदेशक, (कृषि) हि0प्र0 शिमला–5 को सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
0177–2620881